



2026:AHC:124894

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19052/2026

सुनील

....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता	:	अनुज कुमार गुप्ता
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	जी.ए., मयंक यादव

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मयंक यादव और राज्य के विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्री आर.के. सिंह को सुना।
2. यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से मामला अपराध संख्या 94/2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 109(1), 125, 352, 351(3), 3(5) बीएनएस, और 7 सीआर. लॉ अमेंडमेंट एक्ट, पुलिस स्टेशन बाबराला, जिला संभल के तहत विचारण के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि दो समूहों के बीच झड़प हुई थी, जिसके संबंध में संबंधित सब-इंस्पेक्टर द्वारा यह एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में नौ व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है और उन पर आरोप है कि वे घटना वाले दिन उक्त झड़प में शामिल थे। आगे बताया गया कि सुनील नामक एक सह-आरोपी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18721/2026 में दिनांक 29.05.2026 को पारित आदेश द्वारा जमानत दे दी है। वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर में किसी भी आरोपी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक की भूमिका उपरोक्त सह-आरोपियों से अलग नहीं है और इसलिए समानता के आधार पर आवेदक को भी जमानत दी

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जानी चाहिए। यह भी बताया गया कि आवेदक 2 मई 2026 से जेल में बंद है। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच अभी जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में आरोपी बनाए गए दो सह-आरोपी/घायल व्यक्ति राजेश और नीलेश घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि, उनकी चोटों की रिपोर्ट अभी तक रिकॉर्ड में नहीं लाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों घायल व्यक्ति वर्तमान में दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद, यह प्रतीत होता है कि घटना की कथित तिथि को दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच झड़प हुई थी। यद्यपि अभियोजन पक्ष की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि दो व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई हैं, फिर भी न तो विद्वान मुख्य न्यायाधीश और न ही शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय को यह बता सके कि क्या जांच के दौरान घायल व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए थे। यह घटना दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच झड़प के परिणामस्वरूप हुई प्रतीत होती है। घटना में शामिल प्रत्येक आरोपी व्यक्ति की सटीक भूमिका का पता लगाना कठिन है। यदि जांच के दौरान ऐसी भूमिकाएँ अंततः स्थापित भी हो जाती हैं, तो भी दंगा के आरोपों से जुड़े मामले में इसका निर्णायक महत्व नहीं हो सकता है, जहाँ व्यक्तिगत भागीदारी स्थापित करने के लिए आमतौर पर एक से अधिक गवाहों से ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता होती है। मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत याचिका स्वीकार की जानी चाहिए।

6. उपरोक्त मामले में आरोपी **सुनील** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(i). आवेदक जांच या विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित दंडात्मक कार्रवाई करने या दी गई जमानत को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। जमानत स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

2 जून, 2026

उज्जवल

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।